प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**दाण्डिक अपील संख्या 209 / 2002**

**युगल किशोर एवं अन्य**

— बनाम —

**छत्तीसगढ़ राज्य**

---

**विचारार्थ निर्णय**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**हस्ताक्षर**

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

14-9-2007

**माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा**

**सुनील कुमार सिन्हा** न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ

**निर्णय हेतु पोस्ट : 17 सितम्बर, 2007**

**हस्ताक्षर**

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**दाण्डिक अपील संख्या 209 / 2002**

**अपीलकर्ता :** 1.युगल किशोर, पिता रविशंकर देवांगन, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी

**(अभियुक्तगण)** ग्राम चंगोराभाठा, थाना पुरानी बस्ती, जिला रायपुर (छ.ग.)

2.उमेश, पिता कैलाश यादव, आयु लगभग 19 वर्ष।

3.लक्ष्मीचंद, पिता भगेला राम यादव, आयु लगभग 23 वर्ष।

4.शंकरलाल, पिता भोजराम यादव, आयु लगभग 23 वर्ष।

उपरोक्त तीनों (2 से 4) निवासी ग्राम निकट चंगोराभाठा, थाना पुरानी बस्ती, जिला रायपुर (छ.ग.)

**— बनाम —**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**प्रत्यर्थी :** छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी पुरानी बस्ती, जिला रायपुर (छ.ग)

**(अभियोजन)**

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दाण्डिक अपील।)

.....

**उपस्थित अधिवक्ता :**

श्रीमती सविता तिवारी, अधिवक्ता — अपीलकर्ता क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से

श्री जनक राम वर्मा, अधिवक्ता — अपीलकर्ता क्रमांक 3 एवं 4 की ओर से।

श्री आशीष शुक्ला, अतिरिक्त लोक अभियोजक,

श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता के साथ — राज्य/ प्रत्यर्थी की ओर से।

**कोरम** : **माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू एवं**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा।**

-

**निर्णय**

(दिनांक 17 सितम्बर, 2007 को दिया गया)

**न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश एल.सी. भादू द्वारा प्रदत्त :**

**1.** अपीलकर्ताओं ने यह अपील दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 को पारित सत्र विचारण क्र.71/2001 में, 7वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दायर की है, जिसमें अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148, 302 सहपठित धारा 149 एवं 323 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर क्रमशः 2 वर्ष का सश्रम कारावास, आजीवन कारावास एवं ₹500/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, तथा 1 वर्ष का सश्रम कारावास प्रदान किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**2.** अभियोजन का संक्षिप्त मामला यह है की दिनांक 25 अक्टूबर, 2000 को मृतक अशिष दुबे एवं अभियुक्त युगल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। अशिष दुबे ने अभियुक्त युगल को "भूतनाथ" कहकर पुकारा, जिस पर युगल ने अशिष दुबे को गाली दी, और अशिष दुबे ने युगल की पिटाई कर दी। इस पर युगल ने अशिष को धमकी दी कि वह उसे देख लेगा। दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अर्थात 27 अक्टूबर, 2000 को अशिष दुबे एवं प्रत्यक्षदर्शी (भरत) चंगोराभाठा स्थित बालक छात्रावास के मैदान में खड़े थे। उसी समय अभियुक्त युगल, लक्ष्मी, उमेश, शंकर, अन्य 20 नामजद अभियुक्तगण तथा एक किशोर अभियुक्त नीलू उर्फ तुलसीराम वहाँ आए, जो गाली-गलौज कर रहे थे एवं अपने हाथों में लाठी, डण्डा, रॉड एवं फरसा लिये हुए थे। वे अशिष दुबे पर हमला करने की बात कर रहे थे, जिस पर अशिष दुबे सरपंच के घर की ओर भागा। अभियुक्तगण उसका पीछा करते हुए उसे घेरकर गालियाँ देने लगे और कहने लगे कि उसने युगल की पिटाई की थी, इसलिए वे उसे छोड़ेंगे नहीं। सभी अभियुक्तगणों ने अशिष दुबे पर लाठी, डण्डा, गुप्ती, रॉड एवं तलवार से हमला कर दिया। जब भरत, अशिष को बचाने हेतु आगे बढ़ा, तो अभियुक्तों ने उस पर भी हमला किया। अशिष दुबे बेहोश होकर गिर पड़ा, उसे कई चोटें आईं और घटनास्थल पर ही

उसकी मृत्यु हो गई। भरत को भी सिर एवं हाथ में साधारण चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शी मनीष ठाकुर एवं परमानंद भी वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना को देखा।

**3**.पुलिस को सूचना मिलने पर अशिष दुबे एवं भरत को चिकित्सकीय महाविद्यालय अस्पताल, रायपुर ले जाया गया, जहाँ चिकित्सक ने अशिष दुबे को मृत घोषित कर दिया। भरत का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। भरत द्वारा दी गई सूचना पर "देहाती नालिश" (प्रदर्श पी-3) दर्ज की गई, जिस पर आधारित प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) दर्ज की गई। अन्वेषण अधिकारी ने सूचना (प्रदर्श पी-1) देने के बाद अशिष के शव का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया और आशीष दुबे के शव को पोस्टमार्टम हेतु मेकाहारा अस्पताल, रायपुर के फॉरेन्सिक मेडिसिन विभाग भेजा। डॉ. संजय कुमार दादू (अ.सा-9) ने पोस्टमार्टम कर शरीर पर 26 चोटें पाईं तथा मृत्यु का कारण पेट में चाकू के वार से उत्पन्न रक्तस्राव एवं सदमा बताया,जो किसी कठोर ,नुकीली एवं भेदने वाली वस्तु से चोट लगी थी ।उन्होंने इसे प्रकृति में मानव वध बताया। चोट क्रमांक 1 से 24 कठोर एवं भोंथरी वस्तु से कारित की गई थीं। अभियुक्तगण के कथन के आधार पर विभिन्न अपराध में प्रयुक्त हथियार जब्त किए गए। भरत का परीक्षण डॉ. एस. बिस्ट द्वारा किया गया जिन्होंने चोट की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-49) तैयार की और खोपड़ी एवं माथे पर दो कटे हुए घाव देखे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**4.** अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, आरोपपत्र 30 अभियुक्तों, जिनमें वर्तमान चार अपीलकर्ता भी सम्मिलित थे, के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर में प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात मामला सत्र न्यायालय, रायपुर को सौंपा गया, जहाँ से यह विद्वान 7वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर को विचारण हेतु स्थानांतरित हुआ।

**5.** अभियोजन ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने हेतु कुल 16 गवाहों का परीक्षण किया। अभियुक्तों के बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किये गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में उनके विरुद्ध आए तथ्यों से इनकार करते हुए स्वयं को झूठा फँसाया जाना बताया। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात वर्तमान चार अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और उपर्युक्त दण्ड प्रदान किया, जबकि अन्य 26 अभियुक्तों को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

**6.** हमने श्रीमती सविता तिवारी, अपीलकर्ता क्रमांक 1 एवं 2 के अधिवक्ता, श्री जनक राम वर्मा, अपीलकर्ता क्रमांक 3 एवं 4 के विद्वान अधिवक्ता, तथा श्री आशीष शुक्ला, अतिरिक्त लोक अभियोजक (श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता के साथ) के तर्क सुने।

**7.** अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने मृतक अशिष दुबे की हत्या से हुई मौत को विवादित नहीं किया। आहत प्रत्यक्षदर्शी भरत (अ.सा-3) ने स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य में बताया कि अपीलकर्ता अभियुक्तगण एवं अन्य अभियुक्तों ने मृतक पर लाठी, डण्डा, रॉड, तलवार एवं चाकू से हमला किया, जिससे मृतक को चोटें आईं और घटनास्थल पर ही तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य, डॉ. संजय कुमार दादू (अ.सा-9) की चिकित्सकीय गवाही से पुष्ट होता है, जो 27-10-2000 को रायपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल ,रायपुर में फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे, उस दिन आशीष दुबे का शव पोस्टमॉर्टेम के लिए लाया गया।उन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया और शरीर पर कुल 26 चोटें पाईं — जिनमें 8 कटे हुए घाव सिर एवं पार्श्विका क्षेत्र पर, 14 स्थानों पर खरोंचें, तथा पेट पर 2 चाकू के घाव सम्मिलित थे। थक्का जमा हुआ खून पाया गया था गले की मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं में, थायरॉयड कार्टिलेज में अनेक फ्रैक्चर थे, 6वीं एवं 8वीं पसलियाँ टूटी थीं, पेट के भीतरी हिस्से में अत्यधिक रक्त जमा था, और मृत्यु का कारण पेट में चाकू के वार से हुआ अत्यधिक रक्तस्राव एवं सदमा था। मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श पी-50) के अनुसार यह हत्या थी। इस प्रकार मौखिक और चिकित्सकीय साक्ष्यों से यह तथ्य सिद्ध होता है कि अशिष दुबे की मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**8.** जहाँ तक अपराध में अभियुक्त/अपीलकर्ताओं की संलिप्तता का प्रश्न है, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 26 अभियुक्तों को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि भरत (अ.सा-3) ने उन 26 व्यक्तियों की पहचान नहीं की। विचारण न्यायालय ने यह भी माना कि चार अभियुक्तों के नाम देहाती नालिश (प्रदर्श पी-3) में और भरत की न्यायालयीन गवाही में स्पष्ट रूप से आए हैं। अभियुक्त युवराज को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया और अन्य अभियुक्त हेमलाल आदि की पहचान नहीं कराई गई।

**9.** अभियोजन ने तीन प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश किए — भरत (अ.सा-3), मनीष (अ.सा-10) और परमानंद साहू (अ.सा-11)। भरत (अ.सा.-3) स्वयं आहत प्रत्यक्षदर्शी है जिसने देहाती नालिश (प्रदर्श पी-3) दर्ज कराई। भरत ने अपने बयान में कहा कि मनीष और परमानंद साहू भी घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन दोनों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही हो गए। हालाँकि मनीष (अ.सा.-10) ने यह गवाही में कहा है की वह मैदान में खड़ा था, तभी लगभग 50-60 लोग हाथ में लाठी लिए “मारो-मारो” कहते हुए आए, जिसके बाद वह अपने घर चला गया। उसने प्रति-परीक्षण में माना कि भरत वहाँ मौजूद था।

**10.** भरत (अ.सा.-3) ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि 30 अभियुक्तों में से वह अभियुक्त लक्ष्मी, शंकर, उमेश, युगल एवं युवराज की पहचान कर सकता है। अभियुक्त हेमलाल की ओर संकेत करते हुए उसने कहा कि वह उसे मुखाकृति से पहचानता है। शेष 24 अभियुक्तों की वह पहचान नहीं कर सका। उसने आगे यह भी कहा कि युवराज ने उसे बताया कि लोग खेत में ताश खेल रहे हैं, अतः वह युवराज, मनीष एवं परमानन्द के साथ ताश खेलने हेतु खेत में गया। कुछ समय पश्चात् आशीष दुबे भी वहाँ आ गया। मनीष एवं परमानन्द ताश खेल रहे थे और वे उन्हें देख रहे थे। उसी समय पुराने चंगोराभाठा के लगभग 30-40 व्यक्ति वहाँ आ पहुँचे। अभियुक्त लक्ष्मी ने आशीष की कॉलर पकड़कर उसे गाली-गलौज करना प्रारम्भ किया। आशीष पर हमला करने वाले व्यक्तियों में से वह केवल चार व्यक्तियों की ही पहचान कर सका, जो थे — युगल, उमेश, शंकर एवं लक्ष्मी। अन्य व्यक्तियों ने भी आशीष पर हमला किया, किन्तु उन सबको वह पहचान नहीं पाया। उसने यह भी कहा कि अभियुक्त युवराज को उसने आशीष पर हमला करते नहीं देखा। अभियुक्त हेमलाल ने उस पर स्वयं आक्रमण किया था, अतः वह उसे पहचान सकता है। उस पर भी अनेक व्यक्तियों ने आक्रमण किया। अभियुक्त लक्ष्मी के पास डंडा था, अभियुक्त युवराज के पास पटिया था तथा अभियुक्त उमेश के पास लोहे का औजार था। उसके सिर पर 2-3 स्थानों पर, हाथों एवं ललाट पर चोटें आईं, जिनसे रक्तस्राव प्रारम्भ हो गया। वह अशिष की चोटें देखने की स्थिति में नहीं था। पुलिस आशीष को वाहन में लेकर गई तथा उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आशीष की मृत्यु हो गई। उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 दर्ज कराई तथा उसी के आधार पर प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) प्रदर्श पी-4 पंजीबद्ध की गई। प्रतिपरीक्षण के पैरा-20 में उसने पुनः कहा कि उसने अभियुक्त लक्ष्मी, शंकर, युगल एवं उमेश को मृतक पर हमला करते हुए देखा। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष ऐसी कोई परिस्थिति अभिलेख पर नहीं ला सका, जिससे इस साक्षी के उस कथन पर संदेह उत्पन्न हो कि अभियोजन पक्ष द्वारा नामित चार अभियुक्त/अपीलार्थियों की उक्त प्रश्नाधीन अपराध में संलिप्तता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**11.** श्री जनक राम वर्मा, अभियुक्त अपीलार्थी लक्ष्मीचंद एवं शंकरलाल के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि डॉ. संजय कुमार दाडू (अ.सा.–9) के साक्ष्य के अनुसार आशीष दुबे की मृत्यु पेट में चाकू के घाव के कारण हुई थी, जबकि ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि इन अभियुक्तों ने आशीष के पेट पर किसी नुकीले या धारदार हथियार से प्रहार किया हो। यह घातक चोटें अन्य व्यक्तियों द्वारा पहुँचाई गई थीं तथा अन्य सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया है। केवल चार अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया है। अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 इन परिस्थितियों में लागू नहीं होती। जिन घातक चोटों के कारण आशीष दुबे की मृत्यु हुई है, उन्हें इन अभियुक्तों से संबद्ध नहीं किया गया है, अतः ये भी दोषमुक्त किए जाने के अधिकारी हैं।

अधिवक्ता महोदय ने इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **सुखबीर सिंह बनाम राज्य हरियाणा** [1] पर भरोसा किया।

**12.** श्रीमती सविता तिवारी, अपीलकर्ता युगल किशोर एवं उमेश की वकील, ने **अत्माराम ज़िंगराजी बनाम महाराष्ट्र राज्य**[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब देते हुए कहा कि जब 26 अभियुक्त दोषमुक्त हो गए और केवल चार अभियुक्त दोषी ठहराए गए, अतः अभियुक्त/अपीलार्थियों को केवल उनके व्यक्तिगत कृत्य हेतु ही दोषसिद्ध किया जा सकता है और उन्हें **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149** के सहारे दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

**13.** राज्य की ओर से श्री आशीष शुक्ला, अतिरिक्त लोक अभियोजक, ने

[1] AIR 2002 SC 1168

[2]1997 (7) SC 363

**कल्लू उर्फ मसीह बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[3] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि साक्ष्य से यह सिद्ध है कि मृतक पर पाँच से अधिक व्यक्तियों ने हमला किया और अपीलकर्ता उस विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे, अतः धारा 149 भारतीय दंड संहिता की सही ढंग से लागू हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**14.** "पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के उपरांत, हमने सम्बंधित पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंदी प्रतिवादों पर विचार किया।"

**15.** भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार, यह आवश्यक है कि पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक जमाव हो जिसका सामान्य उद्देश्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 में वर्णित किसी एक उद्देश्य में से हो, और उस उद्देश्य की पूर्ति में उस जमाव के सदस्यों द्वारा कोई कार्य किया जाए। अतः धारा 149 के अंतर्गत रचनात्मक दायित्व का आधार केवल विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना है। धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति ऐसे विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, जिसका सामान्य उद्देश्य कोई विशेष अपराध करना है, और उस जमाव के किसी एक या अधिक सदस्यों द्वारा उस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में अपराध किया जाता है, तो उस जमाव का प्रत्येक सदस्य उस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे उसने वास्तव में वह अपराध किया हो या नहीं। सामान्य उद्देश्य के लिए पूर्व में विचार-विमर्श आवश्यक नहीं है; यह विधि विरुद्ध जमाव के एकत्र होने के बाद भी विकसित हो सकता है। सदस्यों का पूर्व में मिलना या मन

का मिलना आवश्यक नहीं है। केवल यह आवश्यक है कि पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का जमाव हो, जिसका एक सामान्य उद्देश्य हो और उन्होंने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक जमाव के रूप में कार्य किया हो। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का जमाव हो जिसका एक सामान्य उद्देश्य हो, और यदि कोई व्यक्ति उस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में कार्य करता है, तो वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के नाते प्रत्येक सदस्य के कृत्य के लिए उत्तरदायी होगा। मात्र विधि विरुद्ध जमाव में उपस्थिति होने मात्र से तब तक किसी को उत्तरदायी नहीं बनाती जब तक कि उसमें सामान्य उद्देश्य न हो और वह व्यक्ति उस उद्देश्य में सहभागी न हो। सामान्य उद्देश्य प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से ज्ञात किया जा सकता है।

**16.** सर्वोच्च न्यायालय ने **बिकाऊ पांडे एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**[4] में अभिनिर्धारित किया है —

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "भारतीय दंड संहिता की धारा 149 IPC के प्रावधान लागू करने और विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों पर रचनात्मक दायित्व डालने के लिए यह देखा जाना चाहिए कि क्या सभा में पाँच या उससे अधिक व्यक्ति थे और क्या उन व्यक्तियों ने धारा 141 में वर्णित एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों को अपनाया था। आवश्यक यह है कि सदस्यों को यह समझ हो कि जमाव अवैध है और वह धारा 141 के अंतर्गत आने वाले किसी भी कृत्य को करने वाला है। 'उद्देश्य' का अर्थ उद्देश्य या मंशा है और इसे 'सामान्य' बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी द्वारा साझा

[3]AIR 2006 SC 831

[4](2003) 12 SCC 616

> किया गया हो, दूसरे शब्दो में सभी को इसके बारे में जानकारी हो और वे सहमत हों। सामान्य उद्देश्य आपसी परामर्श के बाद स्पष्ट समझौते से बन सकता है,लेकिन यह आवश्यक नहीं है। यह किसी भी चरण में बन सकता है और अन्य सदस्य इसमें सम्मिलित होकर

इसे अपना सकते हैं। एक बार बनने के बाद यह स्थायी नहीं होता; इसे बदला, संशोधित या त्यागा भी जा सकता है। धारा 149 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में' का कठोर अर्थ में ऐसा ही अभिप्राय लिया जाना चाहिए मानो वह 'सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए' के समतुल्य हो। अपराध का उस सामान्य उद्देश्य से उसके स्वभाववश तात्कालिक एवं प्रत्यक्ष संबंध होना आवश्यक है। उद्देश्य की समानता होनी चाहिए, और वह उद्देश्य केवल किसी विशेष चरण तक ही विद्यमान रह सकता है, उसके बाद नहीं। किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों में एक निश्चित बिंदु तक उद्देश्य की समानता हो सकती है, जिसके आगे उनके उद्देश्य भिन्न हो सकते हैं। प्रत्येक सदस्य के पास इस बात का ज्ञान कि सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में कौन-सा अपराध किए जाने की संभावना है, यह न केवल उसके पास उपलब्ध जानकारी पर निर्भर करता है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह उस उद्देश्य की समानता को किस सीमा तक साझा करता है। फलस्वरूप, धारा 149 भा.दं.सं. का प्रभाव उसी जमाव के विभिन्न सदस्यों पर भिन्न-भिन्न हो सकता है। केवल किसी विधि विरुद्ध जमाव में उपस्थित होना मात्र किसी व्यक्ति को दायित्वपूर्ण नहीं ठहराता, जब तक यह सिद्ध न हो कि कोई सामान्य उद्देश्य था, वह व्यक्ति उसी सामान्य उद्देश्य से प्रेरित था, और वह उद्देश्य धारा 141 में निर्दिष्ट उद्देश्यों में से एक था। जहाँ किसी विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, वहाँ अभियुक्तों को धारा 149 की सहायता से दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**17.** उपरोक्त सिद्धांत के आलोक में यदि साक्ष्य का परीक्षण किया जाए तो भरत (अ.सा.-3) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुराना चंगोराभाठा गाँव के लगभग 30-40 लोग घटना स्थल पर आए। अभियुक्त लक्ष्मी ने अशिष की कॉलर पकड़कर गाली दी, जिसके बाद सभी ने हमला करना शुरू किया, परंतु वह केवल चार व्यक्तियों की पहचान कर सका, शेष की नहीं। यद्यपि मनीष (अ.सा - 10) पक्षद्रोही घोषित किया गया है और उसने अभियोजन का समर्थन नहीं किया, फिर भी उसने स्पष्ट रूप से कहा कि जब वह मैदान में था, तभी लगभग 50-60 लोग लाठी लेकर 'मारो-मारो'

कहते आए। भरत (अ.सा.-3) ने तुरंत देहाती नालिश (प्रदर्श पी-3) दर्ज कराई, जिसमें उक्त देहाती नालिशी में भी उसने उल्लेख किया है कि अभियुक्त युगल, लक्ष्मी, उमेश एवं शंकर अन्य व्यक्तियों के साथ घटना-स्थल पर अपने हाथों में लाठी, डंडा, रॉड, गुप्ती तथा फरसा लिए हुए आए थे। इसके अलावा, डॉ. संजय कुमार दादू (अ.सा.-9) ने अपने साक्ष्य में कहा कि मृतक अशिष दुबे के शरीर पर 26 चोटें थीं, दाईं ओर की 6वीं एवं 8वीं पसली टूटी थी, तथा श्वासनली की हड्डी में कई फ्रैक्चर थे। चोटों की संख्या से यह भी सिद्ध होता है कि मृतक पर बड़ी संख्या में लोगों ने हमला किया, जिनकी संख्या पाँच से अधिक थी।

**18.** अतः साक्ष्यों और रिकॉर्ड के परीक्षण से हमारा मत है कि अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया है कि अशिष दुबे पर पाँच से अधिक व्यक्तियों के विधिविरुद्ध जमाव ने हमला किया। अभियुक्त/अपीलकर्ता युगल, लक्ष्मी, उमेश एवं शंकर उस जमाव के सदस्य थे। इस जमाव का सामान्य उद्देश्य भी सिद्ध है कि सभी हथियार लेकर आए, पहले लक्ष्मी ने कॉलर पकड़ी और गाली दी, फिर सबने हमला किया। हेतुक के पीछे का कारण यह था कि 25-10-2000 को अशिष और युगल के बीच विवाद हुआ था जिसमें अशिष दुबे ने युगल को 'भूतनाथ' कहा था।अतः अभियुक्त युगल ने आशीष को गाली दी थी, जिस पर आशीष ने युगल पर हमला किया, तथा युगल ने आशीष को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। अतः दिनांक 27-10-2000 को युगल बड़ी संख्या में व्यक्तियों के साथ आया और उस जमाव का उद्देश्य घातक हथियारों से आशीष दुबे पर आक्रमण कर उसकी हत्या करना था, ताकि दिनांक 25-10-2000 को अभियुक्त/अपीलार्थी युगल के साथ की गई कथित दुर्व्यवहार एवं मारपीट के कृत्य का उसे सबक सिखाया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**19.** अब, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए इस प्रश्न पर आते हुए कि चार अपीलार्थियों को छोड़कर अन्य सभी सह-अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः अभियुक्तों की संख्या घटकर चार रह जाने से अपीलार्थियों को केवल उनके व्यक्तिगत कृत्य के लिए ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और इस प्रकार विधि विरुद्ध जमाव का आरोप स्वतः समाप्त हो जाता है। इस संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 149 यह उपबंध करती है कि—

"यदि किसी विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य उस जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में, अथवा ऐसे अपराध के किए जाने की संभावना से अवगत होते हुए, कोई अपराध करता है, तो उस अपराध के किए जाने के समय जो कोई भी व्यक्ति उस जमाव का सदस्य है, वह उस अपराध का दोषी होगा।"

**20.** इस संबंध में, विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा उद्धृत **कल्लू** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्रासंगिक है, जिसमें उपर्युक्त प्रश्न पर विशेष रूप से विचार किया गया है। उस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **धरमपाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** [5] (पैरा 10) में प्रतिपादित सिद्धांत का भी संदर्भ दिया है।

> "यह सत्य है कि किसी अभियुक्त के दोषमुक्त हो जाने से, कानून की दृष्टि में, यह अनुमान उत्पन्न होता है कि वह निर्दोष है, भले ही वह वास्तव में दोषी रहा हो। परंतु, यह लाभ सामान्यतः केवल दोषमुक्त हुए अभियुक्त को ही मिलता है, न कि दोषसिद्ध अभियुक्त को। तथ्यों से संबंधित निष्कर्षों का प्रभाव, उन निष्कर्षों के स्वरूप पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि केवल पाँच ज्ञात व्यक्तियों पर हमले में भाग लेने का आरोप हो और न्यायालय यह पाती है कि उनमें से दो को झूठा फंसाया गया है, तो यह अनुमान स्वाभाविक और तार्किक होगा कि यह निष्कर्ष निकाला जाए कि हमलावरों की संख्या पाँच से कम थी। दूसरी ओर, यदि न्यायालय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[5]AIR 1975 SC 1917

> यह मानता है कि हमलावर वास्तव में पाँच थे, परंतु उनमें से दो की पहचान को लेकर संदेह है और इस कारण उनमे से दो को दोषमुक्त कर दिया गया है, तो शेष अभियुक्तों को उन दो की पहचान को लेकर संदेह का लाभ नहीं मिलेगा, बशर्ते यह पुख्ता निष्कर्ष अच्छे साक्ष्य और ठोस तर्क के आधार पर निकाला गया हो कि हमलावरों की संख्या पाँच या उससे अधिक थी। ऐसे मामलों में संदेह केवल कुछ हमलावरों की पहचान के बारे में होगा, न कि कुल हमलावरों की संख्या के बारे में। यह संभव है कि जहाँ भागीदारी का आरोप केवल पाँच ज्ञात व्यक्तियों तक सीमित हो और उनमें से किसी एक की पहचान को लेकर भी संदेह हो, तो यह पक्का निष्कर्ष निकालना कठिन हो सकता है कि हमलावरों की संख्या कम से कम पाँच थी। लेकिन जहाँ बड़ी संख्या में

ज्ञात व्यक्ति (जैसे, वर्तमान मामले में अठारह) के बारे में कहा गया हो कि उन्होंने भाग लिया, और न्यायालय यह सिद्धांत अपनाता है कि सावधानी के पक्ष में गलती करना बेहतर है ताकि किसी संभवतः गलत फंसाए गए अभियुक्त के साथ अन्याय न हो, और इस कारण बड़ी संख्या में व्यक्तियों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उन व्यक्तियों की संख्या घटकर पाँच से कम हो जाती है जिनकी भागीदारी पर कोई संदेह नहीं है — तो ऐसे में, जैसा कि वर्तमान मामले में स्थिति है, यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं होगा कि निर्विवाद तथ्यों को देखते हुए प्रतिभागियों की संख्या पाँच से कम नहीं हो सकती थी।"

"(ज़ोर देकर कहा गया)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**21.** उपर्युक्त सिद्धांत को लागू करते हुए यदि हम उपर्युक्त विवेचित साक्ष्य का परीक्षण करें तो *देहाती नलिशी* (प्रदर्श पी -3) तथा **भारत (अ.सा -3)** एवं **मनीष (अ.सा -10)** के साक्ष्य के अनुसार हमला 30-40 व्यक्तियों द्वारा किया गया था, जो लाठी, डंडा, रॉड, तलवार एवं गुप्ती लेकर आए थे, जिसका समर्थन *आशीष दुबे* की *पोस्टमार्टम रिपोर्ट* से होता है, जिसमें **चोट क्रमांक 25 एवं 26 पेट पर चाकू जैसी नुकीले एवं धारदार हथियार से लगी चोटें** पाई गईं। यह तथ्य स्थापित करता है कि चोटें नुकीले एवं धारदार हथियार से दी गई थीं। आशीष दुबे के शरीर पर अन्य अनेक चोटें भी पाई गईं, जिसमें श्वान नली तथा दाहिनी ओर की *6वीं एवं 8वीं पसलियाँ* टूटी हुई पाई गईं, जिससे यह सिद्ध होता है कि चोटें पाँच से अधिक व्यक्तियों द्वारा पहुँचाई गई थीं। अतः पाँच से अधिक नामित एवं अज्ञात अभियुक्त व्यक्ति उक्त जमाव के सदस्य थे। 26 अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त किए जाने के पश्चात केवल चार अभियुक्त/अपीलार्थियों का शेष रह जाना, उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, अपीलार्थियों के लिए कोई मदद नहीं मिलती है, क्योंकि इन 26 व्यक्तियों को दोषमुक्त करने का आधार यह था कि उन्हें भारत (अ.सा -3) एवं अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों द्वारा पहचाना नहीं जा सका। कहीं भी यह निष्कर्ष नहीं है कि इन 26 व्यक्तियों को झूठा फँसाया गया था। अतः मात्र इन व्यक्तियों की दोषमुक्ति हो जाने से हमलावरों की संख्या पाँच से कम नहीं हो जाती।

**22.** उक्त परिस्थितियों में यह स्थापित होता है कि हमलावरों की संख्या पाँच से अधिक थी तथा अपीलार्थी उस जमाव के सदस्य थे। अतः अपीलार्थीगण, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा

आशीष दुबे के शरीर पर पहुँचाई गई प्रत्येक चोट के लिए उत्तरदायी हैं, विशेष रूप से **घातक चोट क्रमांक 25 एवं 26 (पेट पर चाकू से घोंपी गई चोटें)**, जो कि *डॉ. संजय कुमार दादू* (अ.सा-9) के साक्ष्य के अनुसार आशीष की मृत्यु का कारण बनीं। अतएव, हमारा विचार है कि अभियुक्त/अपीलार्थियों को **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149** के सहारे दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायोचित है तथा हमें विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई भी अवैधता अथवा त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

**23.** जहाँ तक अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय 'सुखबीर सिंह (पूर्वोक्त) का प्रश्न है, उक्त प्रकरण तथ्यों के आधार पर भिन्न है, क्योंकि उस मामले में यह सिद्ध हुआ था कि केवल अपीलार्थी ने ही मृतक पर आक्रमण किया था तथा मुख्य घातक प्रहार मुख्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया था। मात्र इस कारण से कि अन्य अभियुक्त व्यक्ति उसके साथ उपस्थित थे, जब मुख्य अभियुक्त ने मृतक पर घातक प्रहार किया, यह तथ्य *सामान्य उद्देश्य* के अस्तित्व को सिद्ध नहीं करता, विशेष रूप से उस संबंध में अभियोजन की ओर से किसी साक्ष्य के अभाव में। उस मामले में यह अभिमत दिया गया कि **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149** के अंतर्गत यदि यह प्रदर्शित किया जाए कि अभियुक्तगण को पूर्व से ही यह ज्ञात था कि किया गया अपराध *सामान्य उद्देश्य* की पूर्ति में किया जाना संभावित है, तभी मुख्य अभियुक्त को प्रथम दृष्टया धारा 149 की सहायता से दोषसिद्ध किया जा सकता है।उस मामले में *उच्च न्यायालय* इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभियुक्त व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य, यदि कोई था भी, मृतक की मृत्यु कारित करना नहीं था और ऐसा आशय केवल मुख्य अभियुक्त को ही आरोपित किया जा सकता था। यह भी अभिमत दिया गया कि अभियोजन साक्ष्य ने अभियुक्त के इस कथन को संभाव्य सिद्ध किया कि घटना आकस्मिक एवं अप्रत्याशित थी। अतः, उस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर *उच्चतम न्यायालय* ने यह माना कि मृत्युकारी परिणाम लाने हेतु सभा का कोई सामान्य उद्देश्य नहीं था। किन्तु, वर्तमान मामले में, जैसा कि निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में चर्चा की गयी है, यह सिद्ध हुआ है कि सभी 30-40 व्यक्ति लाठी, रॉड आदि लेकर आए थे, जिसका उद्देश्य आशीष दुबे की मृत्यु कारित करना था। वे मुख्य अभियुक्त युगल के साथ आए थे, जिसने घटना से दो दिन पूर्व मृतक को यह धमकी दी थी कि वह उसे देख लेगा।

**24.** इसी प्रकार, वर्तमान प्रकरण के उपर्युक्त तथ्यों एवं **धर्मपाल प्रकरण** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि-सिद्धांत के आधार पर, **आत्माराम प्रकरण** (पूर्वोक्त ) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी तथ्यों के आधार पर भिन्न एवं असंगत है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**25**. परिणामस्वरूप, यह अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है तथा इसे एतदद्वारा खारिज किया जाता है।

**हस्ताक्षर** **हस्ताक्षर**

**एल.सी. भादू** **सुनील कुमार सिन्हा**

**न्यायाधीश** **न्यायाधीश**

सोमा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By ADV.VARSHA THACKER.**